

AA G-2  
29.1.12

In the High Court of Judicature at Patna.

( Civil Writ Jurisdiction )

C.W.J.C.No. \_\_\_\_\_ of 2013.

Bajnath Pasi .....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents.

Subject:- R.C. Act.

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages
1.	Synopsis.	i to ii
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 15
3.	Annexure-1: A true copy of the Licence. - - - - -	16 - 17
4.	Annexure-2: A true copy of show cause dated 18.11.2011. - - - - -	18
5.	Annexure-3: A true copy of explanation dated 19.11.2011. - - - - -	19
6.	Annexure-4: A true copy of order dated 30.11.2011. - - - - -	20 - 24
7.	Annexure-5: A true copy of order dated 10.2.2012 in C.W.J.C.No.982 of 2012. - - - - -	22 - 23

(11)

Sl.No.	Particulars.	Pages.
8.	Annexure-6: A true copy of Appeal.	--- 28-28
9.	Annexure-7: A true copy of petition dated 13.12.2012.	--- 28-29
10.	Annexure-8: A true copy of Information Slip and order dated 28.12.2012.	--- 30-30
11.	Annexure-9: A true copy of order dated 09.01.2013.	--- 32-33
12.	Vakalatnama of the petitioner.	

-/o/-

In the High Court of Judicature at Patna.

( Civil Writ Jurisdiction )

C.W.J.C.No. \_\_\_\_\_ of 2013.

Bajjnath Prasi ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others..... Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for quashing of order dated 20.11.2011 by S.D.O., Madhepura by which licence of petitioner of Fair Price shop has been cancelled and for direction to authority to restore the licence.

2007 Petitioner was granted licence of Fair Price Shop.  
PARA-3  
Ann-1

18.11.2011-Petitioner was asked show cause levelling allegation that  
PARA-5  
Ann-2 he was found absent during inspection.

19.11.2011-Petitioner submitted explanation.  
PARA-6  
Ann-3

30.11.2011-Licence of petitioner has been cancelled.  
PARA-7  
Ann-4

10.2.2012-Petitioner filed C.W.J.C.No.982 of 2012 which was disposed  
PARA-8  
Ann-5 of with direction to file appeal before Collector.

2012 Petitioner filed Appeal before Collector.  
PARA-9  
Ann-6

9.1.2013 Appeal filed by the petitioner has been dismissed.  
PARA-13  
Ann-9

PARA-16- Due to marriage of daughter the petitioner was absent on relevant date.

(11)

PARA-17 Most of the month allotment has not come.

PARA-18 Petitioner is poor person and due to paucity of amount  
petitioner could not deposite in time.

Hence this writ application.

.....

In the High Court of Judicature at Patna.

( Civil Writ Jurisdiction )

C.W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2013.

In the matter of an  
application under Article  
226 of the Constitution of  
India.

AND

In the matter of :-

Bajjnath Pasi Son of Late Satya Narayan Pasi,  
Resident of Village-Rampatti, Police Station-Singheshwar,  
District-Madhepura ..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.
2. The District Magistrate, Madhepura.
3. The District Supply Officer, Madhepura.

4. The Sub Divisional Officer, Madhepura.
5. The Block Supply Officer, Singheshwar, District-  
Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit,  
the Chief Justice of the High Court of  
Judicature at Patna and her Companion  
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on  
behalf of the petitioner  
abovenamed;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for issuance  
of an appropriate writ in the nature of certiorari for  
quashing the order issued under Memo No. 512-2 dated  
20.11.2011 by Sub Divisional Officer, Madhepura by which  
the licence No. 81/2007 of petitioner for running Fair Price

shop has been cancelled with immediate effect and for quashing of order dated 9.1.2013 passed by District Magistrate, Madhepura in Fair Price Shop Licence Appeal Case No.5 of 2012 by which the appeal filed by the petitioner for restoration of Licence No.81/2007 of Fair Price Shop of the petitioner has been dismissed and for issuance of an appropriate writ in the nature of Mandamus direction to the Respondents to restore the Licence No.81 of 2007 of Fair Price shop of the petitioner and further to give permission to the petitioner for running fair Price shop at Village-Rampatti Panchayat-Singheshwar District-Madhepura and any other appropriate writ, order, direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and lives within territorial Jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner was granted Licence

the month of February 2011, April 2011, May 2011,  
June 2011, October 2011 and November 2011.

A true copy of show cause  
dated 18.11.2011 is annexed  
herewith and marked as  
Annexure-'2' to this appli-  
cation.

6. That on 19.11.2011 the petitioner  
submitted explanation to the Sub<sup>D</sup> Divisional Officer,  
Madhepara that he is very poor person and in lifting  
food grains there should be heavy capital and the  
petitioner obtained the amount any how after taking  
loan from private agency and in this circumstances he  
deposited the draft in next month and with regard  
to October 2011 and November 2011 he was badly engaged  
in the marriage of his daughter and in this circum-  
stances he could not deposite the Draft and in this  
regard the petitioner has already given written infor-



-mation to the Block Supply Officer, Singheshwar.

A truecopy of the Explanation dated 19.11.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-'3' to this application.

7. That explanation given by the petitioner has not been considered by the concerned authority and vide Memo No.513-2 dated 30.11.2011 and order has been issued by Sub Divisional Officer, Madhepura by which the licence No.81/2007 of the petitioner for running Fair Price Shop has been cancelled with immediate effect

A true copy of the order dated 30.11.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-'4' to this application.

8. That being aggrieved with aforesaid order the petitioner filed C.W.J.C.No.982 of 2012 before Hon'ble Patna High Court. then Hon'ble Court vide order dated 10.2.2012 disposed of the writ application with liberty to the petitioner file an appeal before Collector Madhepura who will pass an order.

A true copy of order dated 10.2.2012 in C.W.J.C.No.982 of 2012 is annexed herewith and marked as Annexure-'5' to this application.

9. That in pursuant to aforesaid direction the petitioner filed Fair Price Shop Case No. 5 of 2012 before District Collector, Madhepura requesting to restore the licence of Fair Price Shop.

A true copy of Appeal is annexed herewith and marked as Annexure-'6' to this application.

10. That the appeal was finally heard on 3.8.2012 and after hearing all the parties the learned District Magistrate, Madhepura kept the order reserved vide order dated 3.8.2012.

11. That since long period no order has been passed, then petitioner gave a petition to District Magistrate, Madhepura on 13.12.2012 asking whether order has been passed or not, if passed, simply the Certified copy of order, but nothing done.

A true copy of petition dated 13.12.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-'7' to this application.

12. That the petitioner filed information on 15.12.2012 in Collector Office asking information

that whether order has been passed or not, if order has been passed, to give order, then vide order dated 28.12.2012 the District Magistrate, Madhepura fixed the case for hearing on 8.1.2013.

A true copy of Information slip and order dated 28.12.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-'B' to this application.

13. That then after hearing on 8.1.2013 the learned District Magistrate Madhepura vide order dated 9.1.2013 dismissed the appeal filed by the petitioner on the ground that the petitioner has not deposited the amount for lifting food grains for distribution to its consumer for the period February 2011, April 2011, May 2011, June 2011, October 2011 and November 2011 and on 18.11.2011 the petitioner was absent at Fair Price Shop on inspection.

A true copy of order  
dated 9.1.2013 is annexed  
herewith and marked as Annex-  
ure-'9' to this application.

14. That Respondent authority has not properly considered the case of the petitioner and passed impugne order in most arbitrary manner.

15. That the petitioner has been running fair Price Shop since August 2007 but no any complain was made against him in his whole period and after more than four years such false allegation was levelled against him in the year 2011.

16. That the Respondent authority levelled first allegation against the petitioner that on 18.11. 2011 he was absent during inspection. It is submitted that due to marriage of his daughter the petitioner went outside of the Village hence in this circumstances

the petitioner was not present during inspection on 18.11.2011.

17. That Respondent authority levelled further allegation that the petitioner has not deposited the amount pay in slip for lifting the food grains in the month of February 2011, April 2011, May 2011, June 2011, October 2011 and November 2011. It is submitted that most of the month the allotment has not come and due to which petitioner could not lift the food grains and for this petitioner is not faulty.

18. That with regard to some of the months, it is submitted that the petitioner is very poor and he has no sufficient capital and he deposited Bank Draft after taking loan from Private agency, but in any month the petitioner could not obtain the amount, then in this circumstances he deposited the Draft in next month.

19. That so far of the month of October 2011 and November 2011 it is submitted that the petitioner was engaged in the marriage of his daughter and in this circumstance he could not deposit the Bank Draft in the month of October 2011 and November 2011.

20. That the petitioner has not done any illegal act, any irregularity indistribution of food grains, since the petitioner tried to lift food grains every month.

21. That the intention of Respondent Collector is so mala fide, he kept reserved the appeal on 3.8.2012 after hearing the parties but till long period no order has been passed and when the petitioner sought information from Collector Office on 15.12.2012 then aforesaid impugned order has been passed without considering the case of the petitioner.

22. That the petitioner undertakes that he will abide all rule and regulation and in future

no such type of complain will be done.

23. That due to laches of Respondent authority the petitioner is facing irreparable loss and injury and he became unemployed and he and his family members have come on the verge of starvation.

24. That the petitioner's licence of fair price shop has been cancelled with ulterior motive.

25. That the action of Respondent authority is mala fide, arbitrary, unconstitutional.

26. That the petitioner has no any other alternative and efficacious remedy other than by way of this application.

27. That earlier petitioner filed C.W.J.C. No.982 of 2012 before Hon'ble High Court against impugned order dated 30.11.2011 but thereafter he has not filed any writ petition in this matter.

It is, therefore, prayed that your

Lordships may graciously be pleased



-14-

to admit this application, issue Rule  
NISI, calling upon the Respondents and  
after hearing the parties be pleased to  
allow this application and grant reliefs  
as prayed in Para-1 to this writ application

And/Or

Pass such other order or orders as your  
Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Baijnath Pasi, aged about 42 years, Son of Late Satya Narayan Pasi, resident of Village-Rampatti, Police Station Singheshwar, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in Paragraph Nos. 2 to 6, 8 to 11 and 13 to 25 — are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 7 and 12 — are based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true photostat copies of their respective originals.

*[Handwritten signature]*

## प्रपत्र-II

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत  
उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञा-पत्र

(0/6 No 9/97)

अनुज्ञापि संख्या: 81/2007  
चालान संख्या: 25 तारीख: 28/09/07  
अनुज्ञापिधारी का नाम: श्री ब्रजनाथ पासी  
पिता/पति का नाम: श्री अत्यन्त पासी  
पता: सा. रा. म. प. टी. सिंहे श्वर, जिला - सदापुरा  
कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश, 2001) के उपबंधों तथा इस अनुज्ञापि के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री ब्रजनाथ पासी को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संवितरण को नियमित करने के लिये आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

## भंडारण स्थान का विवरण :-

(क) खाला: 261 चेंनरा: 1443 होल्डिंग नं०  
(ख) दुकान का क्षेत्रफल: 10' X 10'  
(ग) दुकान का विवरण: ईट का मकान, कमरा - 04  
(घ) पता: सा. रा. म. प. टी. सिंहे श्वर, जिला - सदापुरा  
(ङ) दुकान की चौहद्दी: 30' विश्वनाथ मठिक, द. 30' उपेन्द्र राम, पू. 30' जेधन साह, प. 30' नील  
(च) दुकान किराये दर है तो दुकान मालिक का नाम एवं पता

2. आवश्यक वस्तुओं का विवरण :-

(क) खद्यान्न  
 (ख) छाद्य तेल  
 (ग) किरासन तेल  
 (घ) चीनी  
 (ङ) कपड़ा  
(च) अन्य वस्तुएं

3. (क) अनुज्ञापिधारी खाद्य आपूर्ति एवं कृषि विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में भंडार और बिक्री पंजी संचारित करेगा। क्रमांक-2 में उचित आवश्यक वस्तु का मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा।  
(i) खद्यान्न-किंचंटल या किलो ग्राम में  
(ii) खद्यान्न तेल/किरासन तेल-लीटर में  
(ख) अनुज्ञापिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियाँ अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से कर लेगा।
4. अनुज्ञापिधारी राजपत्रित अवकाश/साप्ताहिक बंदी के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा 'सूचना पट' दुकान के बाहर एवं मूल्य एवं भार प्रदर्शन पट दुकान के बाहर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।  
'सूचना पट' परिशिष्ट-1 के अनुसार तथा मूल्य एवं भार प्रदर्शन पट-2 के अनुसार बनायेगा।
5. अनुज्ञापिधारी दुकान के सम्बद्ध भंडारण स्थानों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
6. अनुज्ञापिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।
7. अनुज्ञापिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निश्चित कीमत से उच्चतर कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।

- 14
- 17
8. अनुज्ञापिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं का विक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैंशमेमो (पारा 10 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/निशान लेगा। कैंशमेमो का कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुज्ञापिधारी का नाम, अनुज्ञापि संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा।
  9. अनुज्ञापिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड संबंधित उपभोक्ता को सटा देगा। अनुज्ञापिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगा।
  10. अनुज्ञापिधारी खाद्यान्न का उठाव करते समय संबंधित गोदाम से उसका एक 'संयुक्त नमूना' भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
  11. अनुज्ञापिधारी कारवार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे मांग की जाय, सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आवेदन का पालन करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार, आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा दिया जाय।
  12. अनुज्ञापिधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरीक्षण करने के लिये तथा आवश्यक वस्तुओं की परीक्षण हेतु उनके नमूने लेने के लिये निरीक्षी पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधायें देगा।
  13. अनुज्ञापिधारी द्वारा 'निरीक्षण पुस्तिका' और 'शिकायत/सुझाव पुस्तिका' संधारित की जायेगी। अनुज्ञापिधारी खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के संदर्भ में शिकायतें/सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर 'शिकायत/सुझाव पुस्तिका' उपलब्ध करायेगा।
  14. अनुज्ञापिधारी बिहार राशन कूपन योजना, 2006 एवं बिहार किरासन तैल कूपन योजना 2006 के प्रावधानों का अनुपालन शत प्रतिशत करायेगा।
  15. अनुज्ञापिधारी सभी अनुज्ञापि तथा सभी प्रकार की पुस्तिका एवं कैंशमेमो दुकान में ही रखेगा।
  16. अनुज्ञापिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित विधि में रखेगा तथा नमूने की नमी, उर्पा, कीटों, कृतकों, चिड़ियों आदि एवं ऐसी ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाले क्षति से बचाने का आवश्यक तपाय करेगा।
  17. अनुज्ञापिधारी बरकों, कीटनाशी औषधियों तथा खेपेले रासायनिक पदार्थ के साथ खाद्यान्न का भंडारण नहीं करेगा।
  18. अनुज्ञापिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये तराजू, बटखरा एवं अन्य उपकरण का वार्षिक संधारण माप तौल विभाग से करवाकर दुकान में रखेगा।
  19. अनुज्ञापिधारी रास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में देगा और उनकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा।
  20. अनुज्ञापिधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा सवितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय।
  21. कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत को दुकान के स्वामी (अनुज्ञापिधारी) के अभिलेख से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, अनुज्ञापिधारी को निर्धारित फीस रु0 10 (दस) जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर, शुल्क प्रति की तारीख से चौदह दिनों के अन्दर अनुज्ञापिधारी, राशन कार्डधारक को अभिलेख के ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा।
  22. यह अनुज्ञापि 31-12-2011 तक वैधमान्य होगी।

स्थान - सधेपुरा  
तारीख - 28/12/07

(अनुज्ञापन पदाधिकारी)  
नाम, पदनाम एवं कार्यालय मुहर

8- अनुष्ठीपदाधारी सभी आयुक्त वर्गियों का पिछी के पर्याप्त सुविध उपकरणों की आवश्यकता है। पारोक्षिक । के अनुसार । देना जिसमें उपयोक्ता का नाम पता लिखाकर उनका हस्ताक्षर मिहान लेगा। केमिमो का कार्य प्रति द्वितीय प्रति । श्री म् प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुष्ठीपदाधारी का नाम अनुष्ठीपत संख्या पता श्री मुद्रित रहेगा।

9- अनुष्ठीपदाधारी राजम कार्याधारी के आयुक्त वर्गियों की आयुक्ति के पर्याप्त उनके राजम कार् पर आयुक्ति की प्रीक्षित कर राजम कार् संबंधित उपयोक्ता की त्वा देगा। अनुष्ठीपदाधारी जिसी श्री परिस्थिति में उपयोक्ता का राजम कार् अपने पास नहीं रखेगा।

10- अनुष्ठीपदाधारी आयाग्न अ उठाव करते समय संबंधित गौरवम से उतका एक संयुक्त नमुना श्री प्राप्त होगा। तथा जो दुकान के अन्दर तब तक स्थान पर प्रदर्शित होगा।

11- अनुष्ठीपदाधारी कार्याधारी से संबंधित सभी सुचना जिसकी उत्तरे माने की अ प्राय तही तही प्रस्तुत होगा तथा से आदेश का पालन होगा जो समय समय पर राज्य सरकार आयुक्त जिता पदाधारी एवं अनुष्ठीपत पदाधारी द्वारा किया जाय।

12- अनुष्ठीपदाधारी अपने दुकान में आयुक्त वर्गियों का प्रीक्षित तथा वेकेशन/परीक्षणों का निरीक्षण करने के लिये तथा आयुक्त वर्गियों की परीक्षणके उनके नमुना लेने के लिये निरीक्षी पदाधारी की सभी योज्यवस्तु तबकी पर तत्कत सुविधायक होगा।

13- अनुष्ठीतधारी द्वारा निरीक्षण पुरिष्ठा और गिणकय/ कुणय पुरिष्ठा संघात की जायेगी। अनुष्ठीतधारी बाधाम्म की ख्याती माका सर्व रागिन लेने के दररान पैरा अइ अन्य समस्याओं के संदर्भ में गिणकय/ कुणय द्द करे हेतु उपरिष्ठाओं को उनकी माग पर गिणकय/ कुणय पुरिष्ठा उपलब्ध करायेगा।

14- अनुष्ठीतधारी बिहार रागिन कुमन योजना 2008 एक बिहारीकरात्म त तैत कुमन योजना 2008 के प्रावधानों आ अनुपालन गार्त प्रतिगत करायेगा।

15- अनुष्ठीतधारी को अनुष्ठीत तथा तर्गि-पुकार के अपनी पुरिष्ठा एवं केगामेसो दुकान में ही रहेगा।

16- अनुष्ठीतधारी तर्गि आवश्यक वस्तुओं को तीका स्थिति में तर्गि तथा गूमि की नयी कारों कीटो कुतको बिडियों और रेती ही अन्य कारों से इन वस्तुओं को हीने वाले हामि से बचाने आ आ यक उपाय करेगा।

17- अनुष्ठीतधारी पै रको कीटनागरी औषधियों तथा किसे तलाबिनक पदार्थ के साथ बाधाम्म का संभारण नही करेगा।

18- अनुष्ठीतधारी तर्गि कुमन सर्व बाप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के तर्गि तराबू बटकारा एवं अन्य उपकरण का वारिडि स्थापन माप तीत बिगाम से ततमय करार दुकान में रहेगा।

19- अनुष्ठीतधारी मात के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वारिडि वितरण और तीतगीण स्टिक का वितारण प्रबन्ध आपूर्ति पदाधिजारी उधावा

अनुशासन पदाधिकारी के निर्देशों के आलोक में देगा और उनकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा।

20- अनुशासक पदाधिकारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी ने आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन तथा तीव्रता के संबंध में धारियों या अभिलेखों को देगा होगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षक पदाधिकारी अथवा अनुशासन पदाधिकारी द्वारा मंगी जाय।

21- कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी अनुशासक पदाधिकारी के अभिलेख से उद्धरण अधिप्राप्त करना चाहता है अनुशासक पदाधिकारी को निर्धारित फॉर्म सप्लाय 10 फॉर्म जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर मुहूर्त प्राप्त की तारीख से चौदह दिनों के अन्दर अनुशासक पदाधिकारी राशन कार्डधारक को अभिलेख के से उद्धरण प्रदान करेगा।

22- यह अनुशासक 31.12.2011 दिनांक तक लागू रहेगा।

स्थान मधौपुरा

80/- अक्षय

तारीख- 28.12.07

अनुशासन पदाधिकारी  
नाम पदनाम एवं कार्यालय का मुहर।

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

॥ आपूर्ति शाखा ॥

ज्ञापक...491-2/

दिनांक...18/11/11

प्रेषित,

श्री जेजनाथ नासी, SAO वि० प्र० विक्रेता,

पंचायत सिंहर प्रखंड सिंहर

विषय-

स्पष्टीकरण प्रेषित करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहर ने अपने पत्रांक 130 दिनांक 18.11.11 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 18.11.11 को उनके द्वारा आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का औद्योगिक निरीक्षण किया गया । दुकान निरीक्षण के समय आप अपने व्यापार स्थल पर अनुपस्थित पाये गये एवं आपके व्यापार स्थल पर टंगा सूचना पट्ट एवं अंडार-सह-मूल्य तातिका संधारित नहीं पाया गया । साथ ही उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा अर्थात् माह जनवरी-11 से माह नवम्बर-11 तक में मात्र 05 रुपाय गहिना ही बी० पी० स्ल० एवं अन्त्योदय योजना के आधान के उठाव हेतु राशि जमा किया गया है, जब 06 रुपाय माह अर्थात् फरवरी-11, अप्रैल-11, मई-11, जून-11, अक्टूबर-11 एवं नवम्बर-11 में उक्त योजनाओं के आधान के उठाव के लिए आपके द्वारा राशि पे-इन-स्लिम के माध्यम से जमा नहीं किया गया है । जिसके कारण संबंधित माहों में आपके दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को उक्त आधान लेने से वंचित रहना पड़ा । इसके कारण आपके दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है । इसके आलावे आपका व्यवहार भी उपभोक्ताओं के बीच अच्छा नहीं है । अतः उपरोक्त वर्णित आरोप से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अनुज्ञापित शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आरोप के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिन के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर अग्रोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करें, क्यो नही उक्त आरोप के आलोक में आपकी अनुज्ञापित सं०-81/07 को रद्द कर दिया जाय ।

अनुमंडल पदाधिकारी,  
मधेपुरा



17  
अ नै क त प र- 2

अनुमत्त कार्यालय, मन्दीपुरा।  
! आपूर्ति शाखा !

फायील 491-2

दिनांक 18-11-11

प्रेषित-

श्री देवनाथ पासी साठ दिवस पूर्व प्रेषित  
पंथायत तिहारवर प्रवर्तिततिहारवर ।

विषय- स्पष्टीकरण तमप्री करने के संबंधमें।

उपर्युक्त विषयक प्रवर्तित आपूर्ति पदाधिकारी तिहारवर ने अपने

वर्तित 130 दिनांक 18-11-11 द्वारा प्रतियेक्षित विद्यार्थीक दिनांक 18-11-11

को उनके द्वारा आपके तार्किक विवरण प्रणाली की दुकान का अधिक

निरीक्षणकिया गया। दुकान निरीक्षण के समय आप अपने व्यापार स्थल पर

अनुमोदित पाके गये एवं आपके व्यापार स्थल पर टंगा सूका पट एवं नाल

सब कुछ तात्कालिक संशोधित नहीं पाया गया। साथ ही उनके द्वारा यह

श्री शारीरक लगाया गया है कि आपके द्वारा वर्तित 11 अक्टूबर माह जनवरी 11

से माह नवम्बर 11 तक में मात्र 05 पैकेट मठिना ही की 0 बी 0 कत 0 एवं

अन्वेष्य योजना के ढाढाढाढ के उठाव हेतु राशि जमा किया गयी गी 0

08 पैकेट माह अक्टूबर 11 अक्टूबर 11 मार्च 11 दिसम्बर 11, अक्टूबर 11 एवं

नवम्बर 11 में उक्त योजनाओं के ढाढाढाढ के उठाव के लिए आपके द्वारा

राशि के इन विवरण के माध्यम से जमा नहीं किया गया है। जिसके कारण

संबंधित माहों में आपके दुकान से संबंधित उपभोक्ताओं को उक्त

18।

तयभीक्ताओं में काफी आक्रामक व्याप्त है। इसके आतापे आपका व्यवहार भी तयभीक्ताओं के बीच अस्वीकार्य नहीं है। अतः उपरोक्त धीर्गति आरोप से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अनुमोक्षित गालतों का उत्तमान किया गया है।

निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त धीर्गति आरोप के आलोक में आम अपमानस्पष्टीकरण तीन दिन के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सन्निहित करे वही नहो तत्काल आरोप के आलोक में आपकी अनुमोक्षित संख्या 81/ 87 को रद्द कर दिया जाय।

81/- उत्पष्ट

अनुमोक्षित पत्राधिकारी

मन्दीपुरा।

18.11.11

सेवा में,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।

विषय : स्पष्टीकरण समर्पित करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : श्रीमान् का ज्ञापक 491-2 दिनांक 18.11.2011

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग में विनय पूर्वक निवेदन करना है कि मैं अत्यंत ही गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्रेता हूँ । मेरे पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोहरी पूंजी की आवश्यकता पर जाती है, जिसके लिए मुझे स्थानीय व्यवस्था {पंचा-उधार} से रूपया जमा करना पड़ता है । कभी-कभी जब राज्य खाद्य निगम से अनाज आपूर्ति में विलम्ब कर दिया जाता है तो रूपया मालिक का धैर्य समाप्त होने लगता है और मोका-कुमोका वे अपनी राशि वापस ले लेते हैं जिससे ड्राफ्ट जमा करने में कभी-कभी चूक हो जाती है । ऐसे अपने तई मैं काफी प्रयास कर फिर अगले माह रूपया ड्राफ्ट कर देता हूँ ।


महोदय, स्थानीय बैंक से केश क्रेडिट की व्यवस्था अगर सरकारी स्तर से करवा दी जाय तो ऐसी नीवत कभी नहीं आ पायेगी ।

जहाँ तक अक्टूबर, एवं नवम्बर, 2011 में ड्राफ्ट नहीं जमा करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में विनय पूर्वक कहना है कि अपनी लड़की की शादी के क्रम में व्यस्त रहने की वजह से इस दो माह का लगातार मैंने ड्राफ्ट जमा नहीं किया । इस संबंध में मैंने पूर्वक आपूर्ति पदाधिकारी, तिहिश्वर को पूर्व में ही लिखित सूचना दे दी थी ।

दिनांक 18.11.11 को जब इस बात की पूर्व जानकारी रहते थे मेरे परिसर पर जांच में गये थे, मैं लड़की की शादी के क्रम में बाहर था, अतः दुर्भाग्यवश उनसे मुलाकात नहीं हो सकी । इसी वजह से उन्होंने मेरे विरुद्ध अपना प्रतिवेदन समर्पित किया । मुझसे मुलाकात नहीं होने के फलस्वरूप उन्हें जो कष्ट पहुँचा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । मैं अब अपनी लड़की की शादी से निवृत्त हो चुका हूँ, अतः मैं श्रीमान् को आश्वासन देता हूँ कि अब भविष्य में मैं कभी ऐसा अवसर नहीं दूँगा ।

प्रार्थना है कि मेरी स्पष्टीकरण पर दयापूर्ण दृष्टि रखी हुए इसे स्वीकार कर मुझे दौषमुक्त करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन



{विजनाथ पासी}

सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्रेता

पंचायत- तिहिश्वर वार्ड नं. 1

{मधेपुरा}

19/11/2011

Annexure-4

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

आपूर्ति शाखा

आदेश

19

प्रबंध आपूर्ति बदाधिकारी, सिंहरवर ने अपने पत्रांक 130 दिनांक 18.11.11 द्वारा प्रतिवेदित किया कि दिनांक 18.11.11 को उनके द्वारा श्री केजनाथ बासी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता बंदायत सिंहरवर प्रबंध सिंहरवर की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री बासी अपने छयाभार स्थल पर अनुपस्थित पाये गये एवं छयाभार स्थल पर क्या सूचना पदट तथा मूल्य-तह-भंडार तालिका संधारित नहीं पाया गया। विक्रेता श्री बासी द्वारा वर्ष-2011 अर्थात माह मग जनवरी-11 से नवम्बर-11 तक में मात्र 05 [पाँच] माह की 10 बी0 एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं का बाधान्न के उठाव हेतु राशि के-इन-स्लिम माध्यम से राज्य बांध निगम के बक्ष में जमा किया है। वर्ष 06 [छः] माह अर्थात फरवरी-11, मई-11, पुन-11, अक्टूबर-11 एवं नवम्बर-11 में उक्त योजनाओं के बाधान्न के उठाव के लिए राशि के-इन-स्लिम के माध्यम से राज्य बांध निगम के बक्ष में जमा नहीं किया है। इसके कारण उक्त वर्षित 06 [छः] माहों में विक्रेता श्री बासी के दुकान से सम्बद्ध गरीब उपभोक्ताओं को उक्त योजनाओं के बाधान्न लेने से वंचित रहना पड़ा है। उपभोक्ताओं के बाधान्न नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश ब्याप्त है। साथ विक्रेता श्री बासी का व्यवहार भी उपभोक्ताओं के बीच अच्छा नहीं है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता के कर्तव्य, उत्तरदायित्वों एवं अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन है। उपरोक्त आरोप के आलोक में इस कार्यालय के द्वारा पत्रांक 491-2 दिनांक 18.11.11 द्वारा विक्रेता श्री केजनाथ बासी से स्पष्टीकरण की माँग किया गया। परन्तु विक्रेता श्री बासी द्वारा आज तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विक्रेता श्री केजनाथ बासी पर न प्रबंध आपूर्ति बदाधिकारी, सिंहरवर द्वारा लगाये गये उक्त आरोप सही है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति एवं प्रबंध आपूर्ति बदाधिकारी, सिंहरवर द्वारा की गई अनुज्ञप्ति के आलोक में श्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2001 एवं शैतोपित आदेश-2011 में निर्हित प्रावधान के तहत श्री केजनाथ बासी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता बंदायत सिंहरवर प्रबंध सिंहरवर की अनुज्ञप्ति सं0-81/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

हस्ताक्षर  
अनुमंडल बदाधिकारी,  
मधेपुरा

20

क्रमांक... 5.13.3/आ0 दिनांक... 20.11.11.

तिलिपि- श्री केजनाथ नासी, सार्वजनिक वितरण प्रपाली विक्रेता पंचायत सिद्धेश्वर प्रखंड, सिद्धेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

तिलिपि- अति प्रखंड आयुक्ति वडाधिकारी, सिद्धेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निवेदन दिया जाता है कि श्री केजनाथ नासी रद्द सार्वजनिक वितरण प्रपाली विक्रेता के दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को सम्बद्धता हेतु नजदीकी विक्रेता के दुकान के साथ सम्बद्ध करने हेतु प्रस्ताव 24 पेटि के अन्दर समर्पित करें ।

तिलिपि- जिला प्रबंधक राज्य बाघ निगम मधेपुरा/सहायक गोदाम प्रबंधक इल राज्य बाघ निगम मधेपुरा/ मेसर्स शिव शक्ति एजेन्सी थोक किरासन तेल विक्रेता सिद्धेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

तिलिपि-जिला आयुक्ति वडाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

तिलिपि- जिला वडाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित ॥

अनुमंडल वडाधिकारी,  
मधेपुरा

19

अ नै क त प र- 4

अनुसूचित कार्यालय मधीपुरा

! आपूर्ति गाठाना !

आदेश

प्रधान आपूर्ति पदाधीनकारी तिहेरवर ने अपने पत्रांक 130 दिनांक 18.11.11 द्वारा प्रतिवेदित किया कि दिनांक 18.11.11 को उनके द्वारा श्री पंचनाथ पाती सार्वजनिक वितरण प्रणाली विज्ञान संघागत तिहेरवर प्रधान तिहेरवर की दुकान का बीचक निरीक्षण आगया। निरीक्षण के समय विज्ञान श्री पाती अपने व्यापार स्थल पर अनुपस्थित पाये गये एवं व्यापार स्थल पर टंगा तुफाना पट तथा मुख्य सह धांकार तालिका संघागीता नहीं पायागया। विज्ञान श्री पाती द्वारा वर्ष 2011 अर्थात् माह जनवरी 11 से नवम्बर 11 तक में माह 8 माह ही पी0 पी0 स्त एवं अन्योद्य अन्न योजनाओं का डाटागान्म के उठाव हेतु रागि पे इन स्थल माध्यम से राज्य डाटा निगम के पहामें जमा कियाहि। शेष 6 माह अर्थात् फरवरी-11, अप्रैल-11, मई-11, जून-11, अक्टूबर-11 एवं नवम्बर 11 में उक्त योजनाओं के डाटागान्म के उठाव के लिए रागि पे इन स्थल के माध्यम से राज्य डाटा निगम के पहामें जमा नहीं कियाहि। इसके कारण उक्त वीजान्त 06 माहों में विज्ञान श्री पाती के दुकान से सम्बन्ध गरीब उपभोक्ताओं को उक्त योजनाओं के डाटागान्म लेने से बांधि रहना पनीहि। उपभोक्ताओं को डाटागान्म नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। तादा विज्ञान श्री पाती का व्यवहार भी उपभोक्ताओं के बीच अ. छ. नहीं है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली विज्ञान के कर्तव्य उत्तरदायित्वों एवं

अनुष्ठीत गतियों का उत्संगान है। उपरोक्त आरोप के आलोक में इस कार्यालय के शायक 491-2 दिनांक 18.11.11 द्वारा विज्ञापन श्री के.नाथ पाती से स्पष्टीकरण की मांग किया गया। परंतु विज्ञापन श्री पाती द्वारा आवश्यक जमा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। किन्तु स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विज्ञापन श्री के.नाथ पाती पर प्रकाश आपूर्ति पदाधिकारी तिहेरवार द्वारा लगाये गये उक्त आरोप सही है।

अतः उपरोक्त परिणित परिस्थिति एवं प्रकाश आपूर्ति पदाधिकारी तिहेरवार द्वारा की गई अनुष्ठा के आलोक में तार्कनिक विचारण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 एवं शीशोपिगत आदेश 2011 में निहित प्रावधान के तहत श्री के.नाथ पाती तार्कनिक विचारण प्रणाली विज्ञापन पंचायत तिहेरवार प्रकाश तिहेरवार की अनुष्ठीत संख्या 81/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

एतकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

88/- अतः

अनुष्ठीत पदाधिकारी मदीपुरा।

संख्या 513-2 दिनांक- 30-11-11

प्रतिनिधि- श्री देवनाथ पाती तार्किक कारण प्रणाली विज्ञान संघ  
सिंहगढ़ प्रवाह सिंहराज को सुचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि- प्रवाह आपूर्ति पदाधिकारी सिंहराज को सुचनाएं एवं आवश्यक कारवाई  
हेतु प्रेषित निदेश दिया जाता है कि श्री देवनाथ पाती रूढ़ तार्किक कारण  
प्रणाली विज्ञान के दुकान से सम्बन्ध उपभोक्ताओं की सम्बन्धता हेतु मन्त्रीजी  
विज्ञान के दुकान के साथ सम्बन्ध करने हेतु प्रस्ताव 24 पंक्ति के अन्दर तैयार करें।

प्रतिनिधि- जिला प्रबंधक राज्य ढाढानिगम मधोपुरा/ सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य  
ढाढानिगम मधोपुरा/ मेरी गाय गणित सौन्दीकरण टांक विरासन रेल  
विज्ञान सिंहराज को सुचनाएं एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि- जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधोपुरा को सुचनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि- जिला पदाधिकारी मधोपुरा को सुचनाएं तैयार।

80/- अक्षय

अभ्यर्थक पदाधिकारी मधोपुरा।

30-11-11



**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**  
**Civil Writ Jurisdiction Case No.982 of 2012**

1. Bajinath Pasi Son Of Late Satya Narayan Pasi Resident Of Village - Rampatti, Police Station - Singheshwar District Madhepura

..... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar
2. The District Magistrate, Madhepura
3. The District Supply Officer, Madhepura
4. The Sub Divisional Officer, Madhepura
5. The Block Supply Officer, Singheshwar District Madhepura

..... Respondent/s


**CORAM: HONOURABLE JUSTICE SMT. SHEEMA ALI KHAN**  
**ORAL ORDER**

2      10-02-2012

The petitioner is aggrieved by the order of the Sub-divisional Officer, Madhepura who has cancelled his licence on the ground that petitioner was not found present in his shop, that he had not deposited the cash amount for the food grains for five months.

Learned counsel for the petitioner submits he subsequently deposited the amount and that he has been distributing the food grains regularly. It is submitted that for some period of time he was engaged in his daughter's wedding and, therefore, he could not deposit the amount for two months.

The order impugned is appealable. The petitioner is given liberty to file an appeal within a period of one month. In case he takes recourse to filing an appeal, the



appellate authority will consider the condonation of delay sympathetically as the petitioner was pursuing the matter before this Court.

This writ application is accordingly, disposed of.

Sd/- (Saeem Ali Khan, J.)

Sanjay/-

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY  
*[Signature]*  
For Jd/- (Saeem Ali Khan, J.) 12/2/2012  
Patna High Court  
Established by Act No. 1 of 1956

**COPYING IN WRIT**

22-9-2012  
22-9-2012

01/09/13/12  
Date

23 24

न्यायालय में,

जिला तमाहस्ता,

मधेपुरा ।

जनवितरण अर्जील वाद संख्या - - 5 - - - त्म् 2012

केनाथ पाती वे० त्व० तत्प नारायण पाती

ता० रामपट्टी धाना-तिरिखर जिला-मधेपुरा . . . . . अर्जीलार्थी

बनाम

1. बिहार सरकार . . . . . उत्तरवादी प्रथम पक्ष  
एवं
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा
3. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
4. अंचल आपूर्ति पदाधिकारी, तिरिखर  
जिला - मधेपुरा . . . . . उत्तरवादी द्वितीय पक्ष

प्रतिग : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश दिनांक 30-11-11 के आदेश से संबंधित ।

अर्जीलार्थी अर्जील का इत्तम कायम  
कर इत पु कार निवेदन है :-  
\*\*\*\*\*

1. कि अर्जीलार्थी रामपट्टी अंचल- तिरिखर के वार्ड नं. 1 का जनवितरण पुणाली का अनुपस्थितकारी हीतर रहा था तथा दिनांक 10-11-11 को प्रुखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तिरिखर के अर्जील निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये तथा अन्य कथित अनियमितता पाई गई ।। व्याघार स्थान पर टेना तुलनापट्ट तथा संभारण का मुल्य तालिका तैयारित नहीं पाये एवं अन्य आरोप है कि जनवरी, 2011 से लगायत नवम्बर, 2011 तक कुल 5 माह का बी.पी. एन. उपस्थोद्य योजना का उठाव राशि जमा किया गया है जोष पांच माह अर्थात 6 माह फरवरी, 2011 से अगुल, 11 मई, 11 जून, 11 अक्टूबर, 11 एवं नवम्बर, 11 का उठा राशि वे स्वीय से जमा नहीं किया गया है ।

24

इस आशय का एक नोटिसा हायांक 491-2 दिनांक 18.11.11 को इस अपीलार्थी को भेजा गई कि "हयों नही अनुज्ञप्ति रद्द की जाय" ।

2. कि अपीलार्थी ने नोटिसा प्राप्त परचात् अधिकार कारण पुच्छा त्वच्छटीकरण काइल की, जिते उत्पीडित करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु संबंधित अधिकारी को अनुरांता की गई तथा अनुमंडल सदाधिकारी ने अपने आदेशा दिनांक 30.11.11 का हायांक 513-2 दिनांक 30.11.11 को रद्द करने का आदेशा दिया जो अपने आष में उल्लेख है ।

कि अनुमंडल सदाधिकारी, मसुरा के आदेशा दिनांक 30.11.11 के आदेशा से अंतुच्छट एवं परिवेदित होकर अपीलार्थी यह अपील का हायस काइल कर निवेदन करना है कि इते सहमीट कर निम्न न्यायालय के अधिकार तलस कर आवश्यक कुनवाई उभरांत आदेशित आदेशा करने की असीम कृपा दर्शायी जाय जितके तिसर अन्य आधारों के तिसा निम्न आधार है -

**आधार**

- [क] **हयोंकि आदेशित आदेशा तहयों स्थितियों एवं विधि की मान्यताओं के प्रतिकूल है ।**
- [ख] **कि प्रमाणित किया जाता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 30.11.11 के आदेशा से अंतुच्छट एवं परिवेदित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी.नं. 982 वर्ष 2012 फाईल की जितके दिनांक 10.2.12 के निदेशानुसार यथा समय अपील फाईल कर रहा है ।**
- [ग] **हयोंकि तनाये नये आरीष तहयों पर आधारित है तथा मात्र काल्पनिक तहयों पर आधारित है ।**
- [घ] **हयोंकि अपीलार्थी के विरुद्ध आरीष है कि यह अपीलार्थी अनुसूचित जाति के मये नये अर्द्ध तत्य है कारण अपीलार्थी को अपने पुत्र रवीश कुमार को**

किन्ती के लिए प्राधिकृत किया था तथा वह दुकान पर था, जहाँ तक  
 दुकानपट्ट एवं मूल्य ताकिता का प्रश्न है वह विधिगत रंग या धुँधि  
 उक्त पत्र वितरण का फल नहीं था तथा अपीलार्थी अपने नकली  
 की शादी के प्रम में बाहर गया था। अतः आरोप तर्क है। जहाँ  
 तक मंडारण पंजी एवं अन्य संबंधित कार्यात प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी  
 को दिखाया जिते वे अपने पास रहे, उनके अकीकरण से बाहर होगा  
 कि उक्त अपीलार्थी पर लगाने नये आरोप निराधार है।

[ड]

क्योंकि अन्य आरोप है कि माह जनवरी, ॥ से माह नवम्बर, ॥ तक  
 माह छः माह का बी.पी.एल. एवं अल्पव्यय का वेय स्वीच से उठाव  
 राशि जमा नहीं किया है - अर्द्ध तथ्य है यह अपीलार्थी मात्र दो माह  
 अक्टूबर, ॥ एवं नवम्बर, ॥ में उठा राशि चन्द नागरी धुँधि अपीलार्थी  
 अपने नकली की शादी में व्यस्त थे, जमा नहीं किया तथा यथा समय  
 संबंधित पदाधिकारी को इतनी सूचना रिप्रेजेंटेशन दिया कि दो माह  
 हेतु अन्य डीतर को उठाने का निर्देश दिया जाय जितनी अनदेखी की  
 गई।

[घ]

क्योंकि अपीलार्थी का दिया गया रिप्रेजेंटेशन चितका पत्र संख्या-137/11  
 अपीलार्थी ने प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित किया था उत्तर  
 अर विचारण होता तो सीमा को परेशानी नहीं होती।

[ङ]

क्योंकि अपीलार्थी एक कर्तव्यनिष्ठ जनवितरण प्रणाली किन्ती है तथा  
 अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता है तथा मात्र नकली की शादी हेतु  
 दो माह की छुट्टी लिया था जिते अनदेखी की गई।

[च]

कि वेया कि उपर कहा गया है कि अपीलार्थी से पंचायत के उपभोक्ताओं  
 को कोई शिकायत नहीं है तथा उनकी काफी दूर जाना पड़ता है।

[झ]

क्योंकि धुँधि अतः अपीलार्थी के नकली की शादी सम्बन्ध ही नहीं है,

76 25

- [व] अतः अपीनार्थी क्या समय राशि जमा करता रहना क्या उठाव करना ।  
 क्योंकि मात्र मजदूरी एवं लाचारी में तुलना उपरांत उठाव नहीं किया न  
 राशि जमा की गई जो प्रथम बार तुलना <sup>की</sup> कर क्षम्य है धुंकि अपीनार्थी ने  
 नहीं उठाने की तुलना दे दी थी अतः आरोप विराधार है ।
- [ठ] क्योंकि इसके अलावे अन्य आधार है जो तुलनाई के समय रखा जायेगा ।

अपीनार्थी

द्वारा

अधिकता

प्रमाणित किया जाता है कि इस अपील  
 के हाचन की मेरे द्वारा तैयार किया गया है  
 इसमें लाये गये विन्दुओं की अपीनार्थी कास्जी  
 तथा मौखिक ताक्ष्यों से प्रमाणित करेगा ।

अधिकता

27

न्यायालय में,

तमाहस्ता,

मधेपुरा ।

जनशितरण अधीन घाद सं० \_\_\_\_\_ तन् 2012

वेधनाथ घाती . . . . . अधीनार्थी

बनाम

बिहार सरकार वगैरह . . . . . उत्तरवादीगण

अधीनार्थी की ओर से मित. एकट की धारा 5 के तहत विनय के दीर्घ मार्जन हेतु आवेदन फाइल कर इस प्रकार निवेदन है :-

1. कि आक्षेपित आदेश दिनांक 31.11.11 के आदेश से अंततुष्ट एवं परिवर्धित होकर अधीनार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में सी. डब्लू. पे. सी. नं. 982 वर्ष 2012 [2] दिनांक 10.2.2012 दायर किया था तथा दिनांक 10.12.12 के माननीय न्यायमूर्ति के निर्देशानुसार यथा समय अधीन हाथन दायर कर रहा है ।
2. कि अधीनार्थी ने अधीन दाखल करने में विनय नहीं किया है वरन् मात्र नैर जामकारी एवं मजबूरी में यथा समय श्रीमान् के न्यायालय में फाइल नहीं कर सका । दिनांक 14.2.2012 को नकल हेतु दरखास्त दिया जो नकल 03 दिनांक 17.2.2012 को प्राप्त किया गया निशुल्की को 4 दिनों के अंतर्गत लिखे रन 2012 के 1886 आदेश दिनांक 17.2.2012
3. कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में यथा समय अधीन फाइल कर रहा है ।

अतः तादर निवेदन है कि अधीन फाई में हुए फिली का दीर्घ मार्जन कर अधीन एडमीट कर सुनवाई अथवा आक्षेपित आदेशा रद्द करने की अतीम कृपा क्रापि जाय अधीनार्थी तदा विनीत रहिना ।

अधीनार्थी

द्वारा

अधिकता

Annexure-7

~~28~~  
28

सेवा में,

श्रीमान जिला पदाधिकारी, मधोपुरा।

विषय:- जनवितरण पुणाली अपील सं.-5/12 के संबंध में :-  
महोदय,


सविनय निवेदन है, कि मेरा एक जनवितरण पुणाली का दूकान सिद्धेश्वर मल्लिक टोला के अन्तर्गत था, जिसे एस.डी.ओ. मधोपुरा के द्वारा मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसके उपरान्त उक्त आदेश के विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी.नं.-982/12 आवेदन दाखिल किया, जिसके उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवेदन अपीलीय कोर्ट [समहहतराई] मधोपुरा में जनवितरण पुणाली अपील -5/12 दायर किया।

स/

-यह कि जनवितरण पुणाली अपील -5/12 में श्रीमान द्वारा मेरी ओर से एवं राज्य की ओर से बसस मी दिनांक-3-8-12 पूरी हो गई एवं आदेश पर रेकॉर्ड बना गया। इसके उपरान्त मैंने आदेश की कल प्राप्त हेतु आवेदन दिया, परन्तु आज तक मुझे न तो कल आदेश का प्राप्त हुआ है, वो न आज तक आदेश क्या हुआ है। उसका मुझे पता नहीं है। वो बराबर में न्यायालय का चकर लगा रहा है।

-यह कि मैं एक अनुचित जाति का सदस्य हूँ जो वर्तमान में बेरोजगार बैठा हूँ। मेरे परिवार का जीना दुभार हो गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त विषयों कि जनवितरण पुणाली -5/12 के आदेश का कल दिलवाने की कृपा की जाय, इसके लिये मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा।

निवेदक 

स/

वर्ड नं.-01 मल्लिक टोला, सिद्धेश्वर-  
धाना-सिद्धेश्वर जिला- मधोपुरा।

दिनांक- 19/12/2012  
2





Typed

203  
39

अ नै क स प र- 8

डिस्टीक मजिस्ट्रेट - मधोपुरा।

अपीलकेषानऔर इनफोरमेशन

नम्बर ऐक डेट-

जनवितरण अपील 5/ 12 15.12.12

2- नेम एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपीलकेन्ट-

वेधानाथा पासो पेठ स्वठ सत्य नाठ पासो

सिहम्बर मधोपुरा

3- नेवर ऑफ द इनफोरमेशन रिकोयायड-

मैं जानना चाहता हूँ कि जनवितरण प्रणाली अपील 5/12

में अन्तिम आदेश पत्रक क्या है। सप्लि करे।

4- डेट ऑन विषय द इनफोरमेशन इज टू ही रिक्वेस्ट- x

5- सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर रिसिम्प्रीम द अपीलकेषान-

हठ/- अस्पष्ट

18.12.12

अपीलकेषान नं० 180

18.12.12



29 30

Type

Annexure-'B'

Copy of Last Order Sheet.

28.12.2012- This matter was heard on 3.8.12 but order could not be passed because of engagement in law and order and field works. And the undersigned had to go far training to mascaurie and on foreign visit during the course of training. After training the undersigned has joined in the month of Dec.12. Since four months have passed so it is required to hear again. Put up for hearing on 8.1.13 as first case.

Sd/-Illegible,

31.12.12.

Collector, Court, Peshkar.

अनुसूची 14-क्रमांक सं0-563

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पत्र की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

2

3

9/1/13

**न्यायालय, समाहर्ता एवं जिला इन्फार्मेशन अधिकारी, मधेपुरा**

जन वितरण प्रणाली अनुमति अपील वाद संख्या 05 /2012 बैजनाथ पासी बनाम राज्य

**आदेश**

दिनांक 08-01-13 को आवेदन को विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा अभिलेख के कागजातों का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के सी0इ0सी0 केस संख्या-982 (2012), दिनांक-10-02-2012 के आदेश जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने " **The petitioner is given liberty to file an appeal within a period of one month. In case he takes recourse to filing an appeal, the appellate authority will consider the condonation of delay sympathetically as the petitioner was pursuing the matter before this Court.**"

प्रसंग आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर ने अपने पत्रांक-130, दिनांक-18-11-11 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया, जिसमें उन्होंने श्री बैजनाथ पासी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-सिंहेश्वर, प्रसंग-सिंहेश्वर के उपर निम्न आरोप लगाये :-

1- माह जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2011 तक में 06 माह फरवरी, 2011, अप्रैल, 2011, मई 2011, जून 2011, अक्टूबर 2011 एवं नवम्बर 2011 में बी0पी0एल0, अन्वयोदय योजना के अन्तर्गत आद्यान्न के उठव के लिए राशि पे-स्टिप के माध्यम से राज्य आद्य निगम के पक्ष में श्री बैजनाथ पासी द्वारा जमा नहीं किया गया, जिससे आद्यान्न उठव नहीं हो सका। फलस्वरूप वितरण नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त था।

2- दिनांक-18-11-2011 को दिए गए औचक निरीक्षण में श्री बैजनाथ पासी दुकान पर उपस्थित नहीं थे और न ही पंजी सूचनापत्र, भंडार एवं मूल्य प्रदर्शनपत्र अद्यतन संघारित था।

उक्त आरोपों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक-30-11-2011 को श्री बैजनाथ पासी को अनुमति संख्या-81 /2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

दिनांक 12 मार्च, 2012 को यादी ने अपील वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार व विधि के मान्यताओं के प्रतिकूल बताया। उनका यह भी कहना था कि निरीक्षण की तिथि दिनांक 18-11-2011 को वह

आदेश की क्रम नं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

अपनी लड़की की शादी के क्रम में बाहर गये थे, सूचनापत्र एवं मूल्य तालिका विधिवत् टंगा था एवं यह भी कहा कि यह मात्र अक्टूबर 2011 एवं नवम्बर 2011 में पे-इन-स्लिप जमा नहीं कर पाये एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी कि दो माह हेतु अन्य डीलर को उठाने का आदेश दिया जाए। अपीलार्थी ने यह भी पक्ष रखा है कि मात्र मजबूरी एवं लाचारी में एवं आर्थिक कठिनाई के कारण साधान का उठव नहीं कर सके।

इस संबंध में वादी द्वारा अपने किसी भी दावे के समर्थन में किसी तरह का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 06 महीने तक उठव न करना एक अत्यधिक लम्बी अवधि है, जिसको उनकी बेटी की शादी के संबंध में व्यस्तता के आधार पर **Tenable** नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि वादी ने सक्षम अधिकारी को अक्टूबर एवं नवम्बर, 2011 माह के उठव नहीं करने की जानकारी दी थी, जिसका प्रमाण उन्होंने कागजातों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी वादी ने एक लम्बी अवधि (4 माह) तक साधान उठव नहीं किया है, ऐसे लोग जिन्हें जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभ प्राप्त है, समाज के सबसे नीचले तबके के लोग हैं और बाकी से कहीं ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर एवं मजबूर हैं। अतः वादी का आर्थिक एवं कजोर होने का दावा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।

इनके द्वारा दाखिल किए गए अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक-10-02-2012 आदेश संख्या-सी०४६५०जे०सी० केस नं०-982 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक-31-11-2011, जिसके द्वारा अनुज्ञापित रद्द की गयी, के आलोक में विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क एवं अभिलेख, कागजातों को सूनने-अवलोकन करने के पश्चात् इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

*[Signature]*  
समाहता, मधेपुरा। 9/1/13

*[Signature]*  
समाहता, मधेपुरा। 9/1/13

डी०बी०के 825 न्याय, दिनांक- 12/1/13  
(अभिप्रेत/समाहता)

प्रतिनिधि- प्रभु वराठ, मधेपुरा, श्री विद्यानाथ रातो वेठ लक्ष्मण नाठ रातो, धाठ-रातवराती धामा विष्णुवर को सुनार्थ एवं अनुमानार्थ हेतु।

प्रतिनिधि- जिला अधिवक्ता, मधेपुरा का पंचायत प्रभु।

*[Signature]*  
14/1/13

No. 81/2007 for running Fair Price Shop at Village-  
Rampatti, Panchayat Singheshwar, District- Madhepura  
by the competent authority on 28.12.2007.

A true copy of the Licence  
is annexed herewith and marked  
as Annexure-'1' to this appli-  
cation.

4. That the petitioner has been running Fair  
Price Shop regularly and continuously and he distributed  
all articles to consumers regularly and there is no  
complain against him.

5. That the petitioner was running Fair  
Price Shop very well then all of a sudden the petitioner  
was asked show cause vide Memo. No.491-2 dated 18.11.2011  
issued by Sub Divisional Officer, Madhepura levelling  
allegation that on inspection on 28.11.2011, he was found  
absent, it was further levelled allegation that he has  
not deposited the amounting for lifting food grains in